रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 24, 2009/फाल्गुन 5, 1930
No. 102] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 24, 2009/PHALGUNA 5, 1930

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2009

सा.का.नि. 118(अ).—केन्द्रीय सरकार, असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (2008 का 33) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (2008 का 33) अभिप्रेत है;

(ख) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 5 के अधीन गठित राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "सदस्य" से बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है;

(ड) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(च) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं क्रमश: वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. सदस्यों की पदावधि :—(1) पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य पद अपने नाम निर्देशन की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए धारण करेगा ।

(2) धारा 5 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के उप-खंड (iv) के अधीन नामनिर्देशित कोई सदस्य तब बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा यदि वह संसद के उस सदन का जिसके द्वारा वह इस प्रकार निर्वाचित हुआ था, सदस्य नहीं रह जाता है।

(3) धारा 5 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के उप-खंड (i), उप-खंड (ii) और उप-खंड (iii) के अधीन नामनिर्देशित कोई सदस्य तब बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा यदि वह उस प्रवर्ग का जिससे वह इस प्रकार नामनिर्देशित किया गया था, का प्रतिनिधित्व नहीं करता है:

परंतु उप-खण्ड (i) के अधीन नामनिर्देशित सात व्यक्तियों में एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक से एक-एक सदस्य होगा।

(4) कोई सदस्य पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा।

(4) त्यागपत्र :—(1) बोर्ड का कोई सदस्य जो पदेन सदस्य नहीं है, अपने पद का अध्यक्ष को संबोधित पत्र द्वारा त्याग कर सकेगा ।

(2) ऐसे सदस्य का स्थान उस तारीख से जिसको उसका त्यागपत्र स्वीकार होता है या त्यागपत्र की सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के अवसान के पश्चात्, जो भी पूर्वत्तर हो, रिक्त होगा ।

(3) सदस्य के त्यागपत्र को स्वीकार करने की शक्ति अध्यक्ष में निहित होगी, जो त्यागपत्र स्वीकार करने पर बोर्ड को

उसके अगले अधिवेशन में रिपोर्ट करेगा ।

5. पते में परिवर्तन :—यदि कोई सदस्य अपना पते में परिवर्तन करता है तो वह अपना नया पता बोर्ड के सदस्य सचिव को अधिसूचित करेगा जो तदुपरांत उसका नया पता सरकारी अभिलेख में दर्ज करेगा :

परन्तु यदि सदस्य अपना नया पता अधिसूचित करने में असफल रहता है तो सरकारी अभिलेख में पता सभी प्रयोजनों के लिए सदस्य का सही पता समझा जाएगा ।

6. रिक्त स्थानों को भरने की रीति :—बोर्ड की सदस्यता में कोई रिक्ति होती है या होने की संभावना है तो अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, रिक्त स्थान को भरने के लिए किसी व्यक्ति को नामनिर्देशित कर सकेगा और इस प्रकार नामनिर्देशित व्यक्ति उस सदस्य की शेष पदावधि तक जिसके स्थान पर वह नामनिर्देशित किया जाता है, पद धारण करेगा ।

7. सदस्यों के भत्ते :—बोर्ड के किसी सरकारी सदस्य का यात्रा भत्ता सरकारी कर्त्तव्य पर उसके द्वारा निष्पादित की गई यात्रा के लिए उसको लागू नियमों द्वारा शासित किया जाएगा और उसके वेतन का संदाय करने वाले प्राधिकारी द्वारा संदत्त किया जाएगा ।

(2) बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों को बोर्ड के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए यात्रा भत्ता ऐसी दरों पर संदत्त किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' अधिकारी को संदेय हैं और दैनिक भत्ते की गणना उनके संबंधित स्थानों में केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' अधिकारियों को लागू अधिकतम दर पर की जाएगी ।

8. कारबार का निपटान :—ऐसा प्रत्येक विषय पर जिस पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाना है, बोर्ड के किसी अधिवेशन में या यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश देता है तो प्रत्येक सदस्य को राय जानने के लिए आवश्यक कागजात भेजकर विचार किया जाएगा और उस विषय का बहुमत के विनिश्चय के अनुसार निपटारा किया जाएगा :

परंतु जहां किसी विषय पर मतैक्य नहीं है और बोर्ड के सदस्य समान रूप से विभाजित हैं, अध्यक्ष का द्वितीय और निर्णायक मत होगा ।

स्पष्टीकरण :—उक्त परंतुक के प्रयोजन के लिए "अध्यक्ष" पद के अंतर्गत अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए नियम 9 के उप-नियम (2) के अधीन नामनिर्देशित या चुना गया कोई व्यक्ति भी सम्मिलित होगा ।

9. अधिवेशन :—(1) बोर्ड का अधिवेशन ऐसे स्थानों और ऐसे समयों पर होगा जो अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किए जाएं और यह अधिवेशन चार मास में कम से कम एक बार होगा ।

(2) अध्यक्ष बोर्ड के उस अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा जिसमें वह उपस्थित हो और उसकी अनुपस्थिति में बोर्ड के किसी सदस्य को अपने स्थान पर और अपनी अनुपस्थिति में ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए नामनिर्देशित कर सकेगा और अध्यक्ष द्वारा ऐसे नामनिर्देशन के अभाव में ऐसे अधिवेशन में उपस्थित बोर्ड के सदस्य अपने में से किसी सदस्य को अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए चुन सकेंगे ।

10. अधिवेशन की सूचना और कारबार की सूची–(1) प्रस्तावित अधिवेशन की बोर्ड के सदस्यों को सामान्यतया दो सप्ताह की सूचना दी जाएगी:

परंतु अध्यक्ष यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना समीचीन है, ऐसे अधिवेशन के लिए एक मास से अनधिक की अवधि की सूचना दे सकेगा।

(2) बोर्ड के अधिवेशन के लिए कारबार की सूची में सम्मिलित कारबार के सिवाय, किसी कारबार पर अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना विचार नहीं किया जाएगा ।

(3) अध्यक्ष किसी भी समय अत्यावश्यकता की दशा में विचार-विमर्श की विषयवस्तु और अत्यावश्यकता के कारणों के बारे में सदस्यों को अग्रिम सूचना देने के पश्चात् किसी भी समय बोर्ड का विशेष अधिवेशन बुला सकेगा ।

11. गणपूर्ति :—(1) बोर्ड के किसी अधिवेशन में तब तक कोई कारबार का संव्यवहार नहीं किया जाएगा जब तक उस अधिवेशन में कम से कम छह सदस्य उपस्थित न हों जिसके अंतर्गत संसद का कम से कम एक सदस्य सम्मिलित होगा :

परंतु यदि किसी अधिवेशन में छह से कम सदस्य उपस्थित हैं तो अध्यक्ष उपस्थित सदस्यों को सूचित करके और अन्य सदस्यों को सूचना देकर आस्थगित अधिवेशन में कारबार का निपटान करने के लिए किसी अन्य तारीख के लिए अधिवेशन को आस्थगित कर सकेगा चाहे गणपूर्ति हो या नहीं और उसके लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह आस्थगित अधिवेशन में सदस्यों की उपस्थित संख्या को ध्यान में लाए बिना कारबार का निपटान करे ।

(2) केन्द्रीय सरकार पदेन सदस्यों से भिन्न किसी सदस्य को बोर्ड के अधिवेशन में भाग लेने से विवर्जित कर सकेगी यदि—

(क) वह अध्यक्ष को लिखित में सूचना दिए बिना और उसकी सहमति के बिना बोर्ड के तीन लगातार अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है, या

(ख) केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसा सदस्य उस हित का प्रतिनिधि नहीं करता है जिसके लिए वह बोर्ड में प्रतिनिधित्व करने के लिए तात्पर्यित है ।

12. असंगठित कर्मकार के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने की रीति :—(1) अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट आवेदन प्ररूप (1) में, जिला प्रशासन को किया जाएगा ।

[फा. सं. एम.- 21021/03/2009-आरडब्ल्यू]

अनिल स्वरूप, महानिदेशक (श्रम कल्याण)/संयुक्त सचिव

प्ररूप-1

(नियम 12 देखें)

असंगठित कर्मकार का नाम :...

पिता/पति का नाम :...

व्यवसाय :...

पता :...

वर्तमान :..

....

स्थायी :...

....

आश्रित :..

(क) पिता :..

(ख) माता :..

(ग) (आश्रित बालक) :...

(घ) अन्य :...

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2009

G.S.R. 118(E).—In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Unorganised Workers' Social Security Act, 2008 (33 of 2008), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(l) These rules may be called the Unorganised Workers' Social Security Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Unorganised Workers' Social Security Act, 2008 (33 of 2008);

(b) "Board" means the National Social Security Board constituted under Section 5 of the Act;

(c) "Chairperson" means the Chairperson of the Board;

(d) "member" means a member of the Board;

(e) "section" means a section of the Act.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Term of office of members.—(1) A member, other than an ex -officio member, shall hold office for a period not exceeding three years from the date of his nomination.

(2) A member nominated under sub-clause (iv) of clause (c) of sub-section (2) of Section 5 shall cease to be a member of the Board if he ceases to be a member of the House of Parliament by which he was so elected.

(3) A member nominated under sub-clauses (i) , (ii) and (iii) of clause (c) of sub-section (2) of Section 5 shall cease to be a member of the Board if he ceases to represent the category of interest from which he was so nominated :

Provided that out of seven persons nominated under sub-clause (i), one member each from the Scheduled Caste, the Scheduled Tribe, the Minorities and Women shall be represented.

(4) A member shall be eligible for re-nomination.

4. Resignation.— (l) A member of the Board, not being an ex officio member, may resign his office by a letter in writing addressed to the Chairperson.

(2) The seat of such a member shall fall vacant from the date on which his resignation is accepted or on the expiry of thirty days from the date of receipt of intimation of resignation, whichever is earlier.

(3) The power to accept the resignation of a member shall vest in the Chairperson who, on accepting the resignation, shall report to the Board at its next meeting.

5. Change of Address.— If a member changes his address, he shall notify his new address to the Member-Secretary of the Board who shall thereupon enter his new address in the official records:

Provided that if a member fails to notify his new address, the address in the official records shall for all purposes be deemed to be the member's correct address.

6. Manner of filling vacancies.— When a vacancy occurs or is likely to occur in the membership of the Board, the Chairperson shall submit a report to the Central Government and on receipt of such report, the Central Government may, by notification, nominate a person to fill the vacancy and the person so nominated shall hold office for the remainder of the term of office of the member in whose place he is nominated.

7. Allowances of members.—(1) The travelling allowance of an official member of the Board shall be governed by the rules applicable to him for journey performed by him on official duties and shall be paid by the authority paying his salary.

(2) The non-official members of the Board shall be paid travelling allowance for attending the meetings of the Board at such rates as are admissible to a Group' A' Officer of the Central Government and daily allowances shall be calculated at the maximum rate admissible to Group 'A' Officers of the Central Government in their respective places.

8. Disposal of business.— Every matter which the Board is required to take into consideration shall be considered at a meeting of the Board, or if the Chairperson so directs, by sending the necessary papers to every member for opinion, and the matter shall be disposed of in accordance with the decision of the majority:

Provided that where there is no opinion of majority on a matter and the members of the Board are equally divided, the Chairperson shall have a second or a casting vote.

Explanation.—The expression "Chairperson" for the purpose of the above proviso shall include a member nominated or chosen under sub-rule (2) of rule 9 to preside over a meeting.

9. Meetings.—(1) The Board shall meet at such places and at such times as may be decided by the Chairperson and it shall meet at least once in four months.

(2) The Chairperson shall preside over every meeting of the Board in which he is present and in his absence he may nominate a member of the Board to preside over such a meeting in his place and in the absence of such nomination by the Chairperson, the members of the Board present in such meeting may choose from amongst themselves a member to preside over the meeting.

10. Notice of meetings and list of business.—(1) Ordinarily, two weeks notice shall be given to the members of the Board of a proposed meeting:

Provided that the Chairperson, if he is satisfied that it is expedient so to do, may give notice of longer period not exceeding one month for such meeting.

(2) No business except which is included in the list of business for a meeting of the Board shall be considered at the meeting without the permission of the Chairperson.

(3) The Chairperson may at any time call a special meeting of the Board in case of urgency, after informing the members in advance about the subject-matter of discussion and the reasons of urgency.

11. Quorum.— (1) No business shall be transacted at any meeting of the Board unless at least six members are present in that meeting which shall include at least one member of Parliament :

Provided that if at a meeting, less than six members are present, the Chairperson may adjourn the meeting to another date informing the members present and giving notice to the other members that he proposes to dispose of the business at the adjourned meeting whether there is prescribed quorum or not, and it shall thereupon be lawful for him to dispose of the business at the adjourned meeting irrespective of the number of members attending.

(2) The Central Government may debar any member, other than ex-officio members, from taking part in the Meeting of the Board if—

(a) he absents himself from three consecutive meetings of the Board without written information to and consent of the Chairperson, or

(b) in the view of the Central Government, such member has ceased to represent the interest which he purports to represent on the Board.

12. Manner of making application for registration of unorganised worker.—(1) The application referred to in sub-section (2) of Section 10 of the Act shall be made in Form I, to the District Administration.

[F.No. M. 21021/03/2009-RW]

ANIL SWARUP, Director General
(Labour Welfare)-cum-Jt. Secy.

FORM-I

(See rule 12)

Name of the unorganised worker :....................................

Father's/husband's name :..

Occupation :...

Address :..

Present :..

....

Permanent :..

....

Dependents :...

(a) Father :...

(b) Mother :..

(c) Dependent children :...

(d) Others :...

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.